राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ.1(3)डीओपी/ए–II/2021 जयपुर, दिनांक : 26/7/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

भाग 1
साधारण

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 द्वारा शासित पदों पर, उन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, लागू नहीं होंगे।

2.परिभाषाएं.–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से, राज्य सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में, सरकार और ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें, अभिप्रेत है और अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या, यथास्थिति, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित है जिसे सरकार के अनुमोदन से निदेशक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों को करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया जाये ;

6ms

(ख) **"बोर्ड"** से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) **"आयोग"** से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) **"समिति"** से नियम 31 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ङ) **"विभाग"** से माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग अभिप्रेत है ;

(च) **"निदेशक"** से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या, यथास्थिति, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है ;

(छ) **"सीधी भर्ती"** से इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है ;

(ज) **"सरकार"** से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;

(झ) **"सेवा का सदस्य"** से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन नियमित चयन के आधार पर सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ञ) **"अनुसूची"** से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ट) **"विद्यालय"** से प्रारंभिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन चालू समस्त विद्यालय अभिप्रेत हैं;

(ठ) **"सेवा"** से राजस्थान शिक्षा सेवा या, यथास्थिति, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा, अभिप्रेत है ;

(ड) **"सेवा" या "अनुभव"** जहां कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र कोई निम्नतर पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके लिए उस व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद पर निरन्तर कार्य किया हो।

टिप्पण : सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन

6rh

"ड्यूटी" के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में भी गिनी जायेगी;

(ढ) **"राज्य"** से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ;

(ण) **"अधिष्ठायी नियुक्ति"** से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गयी कोई नियुक्ति सम्मिलित है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो;

टिप्पण : इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन में अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, या तो नियम 5 के अनुसार सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी, भर्ती सम्मिलित होगी; और

(प) **"वर्ष"** से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. निर्वचन.–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग 2
संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.–(1) सेवा में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये ।

(3) सेवा में पृथक्–पृथक् संवर्ग होंगे जो अनुसूची–I और अनुसूची–II के समूहों में विनिर्दिष्ट हैं:

परन्तु सरकार, –

(क) आवश्यक पाये जाने पर किसी भी स्थायी या अस्थायी पद (पदों) का समय–समय पर सृजन कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद (पदों) को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी ; और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय–समय पर रिक्त या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

5. सेवा का प्रारंभिक गठन.–सेवा निम्नलिखित से गठित होगी,–

(क) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट पद को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति ;

(ख) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा में सम्मिलित पदों पर भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति ; और

(ग) नियम 35 के अधीन किसी अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए समस्त व्यक्ति।

भाग 3
भर्ती

6. भर्ती की रीतियां.–(1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में के पद पर भर्ती अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ 3 और 4 में यथा उपदर्शित अनुपात में निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) इन नियमों के भाग 4 में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा; और

(ख) इन नियमों के भाग 5 में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्ति किसी भी समय इन नियमों/अनुसूचियों में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय–समय पर यथा स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हों:

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, जहां आवश्यक हो, आयोग से परामर्श करके यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष–विशेष में भर्ती की किसी भी रीति से नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, अन्य रीति से नियुक्ति उसी प्रकार की जा सकेगी जैसी इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(3) अनुसूची–II 'अधीनस्थ सेवा पद' के "समूह कः अध्यापन विंग" में यथा निर्दिष्ट अध्यापकों के मामले में, 100 प्रतिशत रिक्तियां, पंचायत समितियों के अधीन विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के स्थानांतरण द्वारा भरी जायेंगी:

परन्तु,–

(क) अध्यापक सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध करवाये जायेंगे;

(ख) वे इन नियमों के अधीन पदों के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखते हो; और

(ग) उनका अभिलेख संतोषप्रद पाया गया हो।

(4) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी आपात के दौरान थल सेना/वायुसेना/नौसेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों द्वारा विनियमित होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जाये।

7. मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा–मिलिटरी कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.–(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताओं और अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग और यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति के अध्यधीन रहते हुए,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय–समय पर यथा संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल–9 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके ;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय–समय पर यथा संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल–10 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके ;

(iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय–समय पर यथा संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल–9 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.01.1971 से 31.03.1999 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा गया था या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके,

भर सकेगा:

परन्तु,–

(i) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हों तो उन्हें रोजगार दिया जायेगा;

(ii) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी का कार्मिक, जिसकी मृत्यु हो गयी है या जो स्थायी रूप से अशक्त हो गया है, की विधवा या संतानें तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के कार्मिक के आश्रित को नियुक्ति केवल तब दी जायेगी जब उनमें से किसी एक ने भारत सरकार के विद्यमान संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं पा ली है।

(3) यदि सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों के कार्मिक की मृत्यु के समय उसका कोई भी अन्य आश्रित केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनी बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित हो तो ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी :

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए रोजगार चाहती है।

(4) ऐसा आश्रित उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन सशस्त्र बलों के मामले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को और पैरा–मिलिटरी बलों के मामले में पैरा–मिलिटरी यूनिट के कमान अधिकारी को सम्बोधित करेगा जो उस यूनिट के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो जहां सशस्त्र बलों/पैरा–मिलिटरी बलों का मृत/स्थायी रूप से अशक्त सदस्य मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के समय सेवारत था। ऐसे आवेदन पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए इस शर्त के अध्यधीन विचार किया जायेगा कि आश्रित ऐसे पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव, सिवाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के, जिसके लिए शैक्षिक अर्हता शिथिल की जायेगी, तथा पद के लिए विहित आयु सीमा पूरी करता है और आवेदक सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्हित भी है।

(5) ऐसे आश्रित का आवेदन आश्रित द्वारा रखी जाने वाली अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में

रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में आवेदन, खण्ड आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन के किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा।यदि खण्ड आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति देने के लिए खण्ड आयुक्त द्वारा आवेदन, सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी :–

(i) सशस्त्र बल/पैरा–मिलिटरी बल के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम ;

(ii) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के पूर्व कार्यरत था/थी;

(iii) युद्ध में हताहत या स्थायी रूप से अशक्त घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की तारीख और स्थान; और

(iv) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हता और मृतक के साथ उसका संबंध (प्रमाणपत्रों सहित)।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए,–

(क) "सशस्त्र बल" से संघ की थल सेना, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत है;

(ख) "आश्रित" से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति का पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरा–मिलिटरी कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे ;

टिप्पण : दत्तक पुत्र/पुत्री से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके जीवनकाल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है।

(ग) "पैरा–मिलिटरी बल" से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और कोई अन्य पैरा–मिलिटरी बल अभिप्रेत है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये ; और

(घ) "स्थायी रूप से अशक्त" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) में यथा परिभाषित "सदंर्भित दिव्यांगजन" पद की परिभाषा के अधीन आता है।

8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती के समय अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति, ऐसे आरक्षण के लिए सरकार के प्रवृत्त आदेशों के अनुसार होगा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता–एवं–योग्यता तथा योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित किये गये पृथक्–पृथक् रोस्टरों के अनुसार ही की जायेंगी।

(5) किसी वर्ष–विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी :

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती आयोजित नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

(6) किसी वर्ष–विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए आरक्षित रिक्त पद (पदों) के प्रति अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, वह पद रिक्त करना होगा :

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पद या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समूह की रिक्तियों को वहां अग्रनीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

9. पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.–पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा। किसी वर्ष–विशेष में पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पात्र

6 M

और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.– सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष–विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए **'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'** वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति,जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता–पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। 'आय' में समस्त स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय होगी।

11. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.–उन पदों को छोड़कर जो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं या बने हैं, अन्य समस्त पदों के लिए, सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह महिला–अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष–विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह–महिलाओं में से किसी में भी पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को पहले अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह–महिलाओं से विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह–अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की

अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह–महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह–महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

12. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.–उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में सेवा के अधीन सीधी भर्ती के लिए चिह्नित, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष–विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण : "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, और जिन्होंने,–

(i) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय द्वारा आयोजित, उक्त सारणी के स्तम्भ संख्यांक 3 में उल्लिखित किसी खेलकूद के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,–

सारणी

क्र.सं.	अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय	टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप का नाम
1.	2.	3.
1.	अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आई.ओ. सी)	ओलंपिक खेल(ग्रीष्मकालीन)
2.	एशिया ओलंपिक परिषद् (ओ.सी.ए.)	एशियाई खेल
3.	दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद् (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियाई खेल; सामान्यतः एस.ए.एफ गेम्स के रूप में जाना जाता है
4.	कॉमन वेल्थ गेम्स फेडरेशन (सी.जी.एफ.)	कॉमनवेल्थ गेम्स
5.	आई.ओ.सी. से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन	वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप
6.	ओ.सी.ए. से संबद्ध एशियाई स्पोर्ट्स फेडरेशन	एशियाई चैम्पियनशिप
7.	अंतरराष्ट्रीय स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (आई.एस.एस.एफ.)	अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल/ चैम्पियनशिप
8.	एशियाई स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ए.एस.एस.एफ.)	एशियाई स्कूल खेल/चैम्पियनशिप

या

(ii) भारत के स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

(iii) इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन या उससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(v) भारत ओलंपिक एसोसिएशन/भारत पैरा ओलम्पिक समिति या उससे संबद्ध राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के राष्ट्रीय खेल/ राष्ट्रीय पैरा गेम्स या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/पैरा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

13.राष्ट्रीयता.– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह–

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो ; या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो ; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

14. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.–इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु

राष्ट्रीयता, आयु–सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

15. रिक्तियों का अवधारण.– (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद अनुसूचियो में यथाविहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद अनुसूचियों में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के विहित अनुपात को बनाये रखते हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये तो उसे पदोन्नति कोटे में अग्रता देते हुए, निरंतर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा यदि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

16. आयु.–सेवा में सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को,–

(क) राज्य सेवा में के पद के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए,

(ख) अधीनस्थ सेवा में के पद (पदों) के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए :

परन्तु,–

(i) उपरिउल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को,–

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

(ख) सामान्य प्रवर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक,

शिथिल किया जायेगा;

(ii) उपरिउल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था ;

(iii) अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था/थी और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iv) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिउल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) में दी गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा;

(v) राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत में सेवा दे रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी;

(vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;

(vii) विधवाओं और विच्छिन्न विवाह–महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी;

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न–विवाह महिला के मामले में उसे विवाह–विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(viii) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों को, यदि वे प्रारंभिक रूप से नियुक्ति किये जाने के समय आयु सीमा में होते, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक अनुज्ञात किये जायेंगे; और

(ix) यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में सीधी भर्ती के लिए, हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक की अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

17. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं और अनुभव.–अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हता रखेगा,–

(i) अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ 5 में यथा विहित अर्हताएं और अनुभव; और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञानः

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा किन्तु उसे,–

(क) जहां चयन लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व ;

(ख) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ; या

(ग) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

18. चरित्र.– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उसके संबंधी हों।

टिप्पण :(1) किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में ही सच्चरित्रता प्रमाणपत्र दिये जाने से इन्कार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्ग्रस्त नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका उद्देश्य

विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और पश्चात्वर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का या यदि किसी जिला–विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्वर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चात्वर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

19. शारीरिक उपयुक्तता.– सेवा में सीधी भर्ती के किसी अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस

आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पदों के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और उसकी आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

20. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.—कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेजों जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लेने का दोषी है या आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी/समिति द्वारा दोषी घोषित किया गया है, वह दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त,—

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग/बोर्ड/समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,

या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जायेगा।

21. संयाचना.— इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

भाग 4
सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

22. प्रतियोगी परीक्षा.– सेवा में के विभिन्न पदों की समस्त सीधी भर्तियां, अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जायेगी।

23. परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकरी, पाठ्य विवरण और परीक्षा की आवृत्ति.– (1) परीक्षा, आयोग या बोर्ड द्वारा समय–समय पर विहित पाठ्य विवरण के अनुसार आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पद पर सीधी भर्ती, वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी, जब तक कि सरकार यह विनिश्चित न करे कि इन पदों के लिए सीधी भर्ती किसी वर्ष–विशेष में आयोजित नहीं की जायेगी।

24. आवेदन आमंत्रित करना.–(1) आयोग, बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन, राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, भरी जाने वाली रिक्तियों को विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद के पे मैट्रिक्स के लेवल में वेतन, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा :

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय यदि, आयोग/बोर्ड/समिति/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी यदि उन्हें/उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन करने से पूर्व प्राप्त हो जाये तो, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी/समिति, नोटिस के साथ या ऐसी अन्य रीति से जो वे/वह उचित

समझें/समझे, अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित ब्यौरों पर सूचना देते हुए, ऐसे अनुदेश जो वे/वह आवश्यक समझें/समझे जारी कर सकेंगे/सकेगाः–

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं इत्यादि से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या उपदर्शित करते हुए, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या;

(ii) परीक्षा में उपस्थित होने की अनुज्ञा के लिए आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख और प्रस्तुतीकरण की रीति;

(iii) अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित अर्हताएं और रीतियां जिसके द्वारा ये अर्हताएं स्थापित की जायेंगी;

(iv) परीक्षा का स्थान और तारीख; और

(v) परीक्षा का पाठ्य विवरण।

25. आवेदन का प्ररूप और परीक्षा में प्रवेश.–(1) आवेदन आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में किया जायेगा और उसे आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस का संदाय करके, जो आयोग/बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर नियत की जाये, प्राप्त किया जा सकेगा।

(2) परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, अभ्यर्थी को नियमों में यथा उपबंधित आयु, शैक्षिक/वृत्तिक अर्हताओं, अनुभव इत्यादि के संबंध में अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। परीक्षा/साक्षात्कार लेने के लिए अनुज्ञात किया जाना मात्र ही किसी अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा का हकदार नहीं बनाता। नियम 28 के अधीन सूची तैयार करने से पूर्व, आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी, तत्पश्चात् केवल ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गये हैं के आवेदनों की संवीक्षा करेगा ।

(3) परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

26. आवेदन फीस.—(1) सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आयोग बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी को उनके/उसके द्वारा समय–समय पर नियत फीस का, ऐसी रीति से, जो उनके/उसके द्वारा उपदर्शित की जाये, संदाय करेगा।

(2) परीक्षा फीस के प्रतिदाय के लिए, किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही फीस किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखी जायेगी, सिवाय उस मामले के जब आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कारण से विज्ञापन रद्द कर दिया गया है, जिसमें आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा नियत रकम, प्रतिदाय करने से पूर्व काटी जायेगी।

27. आवेदनों की संवीक्षा.—आयोग/बोर्ड/यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उनके/उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेंगे/करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से, जितने वे/वह वांछनीय समझें/समझे, साक्षात्कार/लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेंगे/करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

28. आयोग/बोर्ड/समिति/नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें.— आयोग/बोर्ड या समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझें, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम में क्रमांकित नामों की एक सूची तैयार करेंगे और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे। आयोग/बोर्ड या समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहा है:

परन्तु,—

(i) उपर्युक्त यथा नियत प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत तक शिथिल किया जायेगा।

(ii) आयोग/बोर्ड/समिति विज्ञापित रिक्तियों की 50 प्रतिशत सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम भी प्रवर्गवार आरक्षित सूची में रख सकेगी। आयोग/बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी को, अध्यपेक्षा किये जाने पर, उस तारीख से जिसको मूल सूची, उनके/उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की गयी है, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यताक्रम में सिफारिश, छह मास के भीतर–भीतर कर सकेगा।

29. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.– (1) कोई भी अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा/होगी जब तक सरकार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार अनुज्ञ हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा/होगी जब तक सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु,–

(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) इस उप–नियम के उपबंध राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के उपबंधों के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगें।

(iv) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(v) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

30. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.–नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 8,9,10,11 और 12 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में से योग्यताक्रम में अभ्यर्थियों का चयन करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य संभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग 5
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

31. विभागीय पदोन्नति समिति का गठन.—समिति का गठन निम्नानुसार होगा :—

(क) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले ऐसे पद (पदों) के लिए, जहां नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं :

1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य	अध्यक्ष
2. प्रशासनिक विभाग का प्रभारी शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
3. कार्मिक विभाग का प्रभारी शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य–सचिव।

(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले पद (पदों) के लिए, जहां नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जाती हैं :

1. आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य	अध्यक्ष
2.संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
3.संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या, यथास्थिति, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
5. संबंधित रेंज का उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य–सचिव।

(ग) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आने वाले पद (पदों) के लिए, जहां नियुक्तियां संबंधित रेंज के संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती हैं :

1. संबंधित रेंज का संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	अध्यक्ष
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट एक उप निदेशक	सदस्य

3.निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट एक जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य।

परन्तु यदि समिति के गठन में सम्मिलित कोई सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य–सचिव संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो उस पद का तत्समय प्रभार धारण करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य–सचिव होगा।

32. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया.–(1) इन नियमों के नियम 15 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी जैसे ही रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चत करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं तो वह उप–नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो वरिष्ठता–एवं–योग्यता या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) अनुसूची–I या, यथास्थिति, अनुसूची–II के स्तम्भ 6 में प्रगणित व्यक्ति चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को उनके द्वारा पदोन्नति के लिए स्तम्भ 7 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए स्तम्भ 4 में उपदर्शित सीमा तक उसके स्तम्भ 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे:

परन्तु,–

(i) वरिष्ठ अध्यापक पर परिवीक्षाकाल के दौरान उसके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार, विशिष्ट विषय के प्राध्यापक, अतिरिक्त ब्लाक प्रांरभिक शिक्षा अधिकारी या प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर केवल उसकी पदोन्नति के लिए ही विचार किया जायेगा। परिवीक्षाकाल के दौरान एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। जो व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे उनसे इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् छह मास के भीतर–भीतर यथापूर्वोक्त विकल्प के चयन की अपेक्षा की जायेगी। कोई वरिष्ठ अध्यापक जो यथापूर्वोक्त चयन नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के पश्चात् जिन्होंने विकल्प दिया था, रिक्तियों की उपलब्धता के

अध्यधीन रहते हुए, उनकी वरिष्ठता–एवं–पात्रता के अनुक्रम में किसी पद अर्थात् विशिष्ट विषय का प्राध्यापक, अतिरिक्त ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी या प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(ii) जो वरिष्ठ अध्यापक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के समय स्नातकोत्तर नहीं थे उनसे स्नातकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात्, पदोन्नति के लिए, स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् से तीन माह की कालावधि के भीतर–भीतर, विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।

(iii) वरिष्ठ अध्यापक, जो अपना विकल्प देता/देती है उसको इसे बदलने का अवसर नहीं दिया जायेगा।

(iv) वरिष्ठ अध्यापक, जिसने विकल्प देने के पश्चात् अन्य किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है, उसे स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् से तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर, अपना विकल्प बदलने का अवसर दिया जायेगा।

(3) सेवा में किसी भी व्यक्ति की प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी हो, इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित न हुआ/हुई हो।

स्पष्टीकरणः यदि किसी वर्ष–विशेष में पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व किसी पद पर सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, से तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों :

6mh

परन्तु,–

(i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को थी, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी व्यक्ति के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(iv) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(5) सेवा में सम्मिलित पदपर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर किया जायेगा :

परन्तु,–

(i) राज्य सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि यह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, केवल योग्यता के आधार पर ही की जायेगी।

(ii) यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष–विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर पद पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो पद पर वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(6) (i) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या–सीमा निम्नलिखित होगी:–

रिक्तियों की संख्या–		विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) एक रिक्ति के लिए	–	पांच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियों के लिए–		आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियों के लिए–		दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए–		रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।

(ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जहां अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या–सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या–सीमा, रिक्तियों की संख्या के सात गुना तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या–सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति विचार किया जायेगा।

(iv) इन नियमों से संलग्न अनुसूचियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सेवा में के किसी पद के लिए,–

(क) यदि पदोन्नति पे मैट्रिक्स में समान लेवल में एक से अधिक पद–प्रवर्गों में से होनी हो तो पे मैट्रिक्स में समान लेवल में के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(ख) यदि पदोन्नति पे मैट्रिक्स में भिन्न–भिन्न लेवल वाले एक से अधिक पद–प्रवर्गों में से होनी हो तो पे मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए पहले विचार किया जायेगा और यदि पे मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में योग्यता या, यथास्थिति, वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर कोई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं हो तो केवल तब ही पे मैट्रिक्स में निम्नतर लेवल में के अन्य पद–प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के

6M

लिए विचार की संख्या–सीमा कुल मिलाकर पांच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र यथा विहित हैं।

(8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए, इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर, नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची, पद (पदों) के उस प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित की जायेगी, जिसमें से चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति,योग्यता के आधार परभी एक पृथक् सूची तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में आयी हों, भरने के लिए उपर्युक्त उप–नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे। वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पद के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया गया है, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को उस समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्वर्ती वर्ष में हो और ऐसी सूची, ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक जिसके लिए विभागीय समिति की बैठक की जाये प्रवृत्त रहेगी।

(10) उप–नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्यों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हो, के

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों/वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी ;

स्पष्टीकरण : योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए, किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिएसमिति की बैठक आयोजित की गयी है, पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छा" न हो।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियां उस वर्ष–विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनर्निधारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निदेश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदनमें की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक

विभाग की और आयोग बोर्ड (जहां आयोग बोर्ड सहबद्ध हो) की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहां समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां उप–नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में के व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उन्हें सूचियों में रखा गया है, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जा रहा हो जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

33. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.—यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर या तो अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग 6
नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

34. सेवा में नियुक्ति.—सेवा में के पद पर सीधी भर्ती या, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 28 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से योग्यताक्रम में और नियम 32 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

35. अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति .— (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, उसे सरकार या, यथास्थिति, नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न की हैसियत में नियुक्ति करके या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र हो, जब ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन उपबंधित हो, अस्थायी रूप से नियुक्त करके, भरा जा सकेगा:

परन्तु,—

(i) ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी;

(ii) सेवा या सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों,सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति करने के लिए सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सेवा के मामले में सरकार के कार्मिक विभाग और अन्य सेवाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह निदिष्ट करे, अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उक्त उप–नियम के अधीन यथा अपेक्षित, आयोग की सहमति के अध्यधीन होंगी।

36. वरिष्ठता.–सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी :

परन्तु ,–

(1) किसी प्रवर्ग–विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी

होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या दीर्घतर कालावधि, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जाये, सेवाग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम इन नियमों के नियम 28 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं ;

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति उसी वर्ष के दौरान सेवा में नियुक्त किये जाते हैं तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से रैंक में वरिष्ठ होगा ;

(3) ऐसे चयन, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये गये हैं;

(4) एक ही चयन में वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनसे अगली निम्नतर ग्रेड में की है।

(5) नियम 6 के उप–नियम (3) के अधीन उपयुक्त न्यायनिर्णित किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी निरंतर सेवावधि के अनुसार अवधारित की जायेगी और वे इन नियमों के प्रांरभ की तारीख तक सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किये गये समस्त व्यक्तियों से सामूहिक रूप में रैंक में कनिष्ठ होंगे।

(6) पदोन्नति की नियमित पंक्ति में अगले उच्चतम पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए, पद पर विभिन्न रेंजों/प्रभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित वरिष्ठताओं का अंतर्गथन संबंधित रेंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रखी गयी वरिष्ठता सूची में उनके क्रम स्थान पर विचार किये बिना, पद पर अभ्यर्थियों द्वारा पद ग्रहण की तारीख के आधार पर किया जायेगा।

(7) ऐसे व्यक्ति, जिसका स्थानान्तरण अपनी पूर्व रेंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी से अन्य रेंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी को हो गया है, का नाम उत्तरकालीन रेंज/प्रभाग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस पद पर नियुक्त किये गये कनिष्ठम व्यक्ति से नीचे रखा जायेगा।

(8) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण, रोस्टर बिन्दुओं के निःशेष होने और पदोन्नति की पर्याप्तता प्राप्त होने तक जारी रहेगा। एक बार रोस्टर बिन्दु पूर्ण हो जाते हैं तत्पश्चात् प्रतिस्थापन के सिद्वान्त का प्रयोग पदोन्नति में किया जायेगा जब कभी भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिह्नित रिक्तियां आयें हों।

स्पष्टीकरणः "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" से रोस्टर बिन्दु के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।

37. परिवीक्षा की कालावधि.– (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा :

परन्तु,–

(i) कोई व्यक्ति जो राज्य सेवा में के प्रारंभिक पद से किसी उच्चतर पद, जिसके लिए शैक्षणिक/वृत्तिक अर्हताओं के अतिरिक्त कुछ अनुभव विहित किया गया है, पर सीधे रूप से भर्ती किया गया है, एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा,

(ii) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि, जिसके दौरान किसी व्यक्ति को किसी तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षाकाल के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

38. कतिपय मामलों में स्थायीकरण.–(1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त होने की दशा में दो वर्ष की सेवा के परिवीक्षाकाल के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर छह मास की कालावधि के भीतर या पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने की दशा में एक वर्ष की सेवा की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा/होगी यदि ,–

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता/करती यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता/होती ;

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता/करती हो ; और

(iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप–नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उक्त उप–नियम में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और अन्य किन्हीं नियमों के अधीन परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के लिए यथाविहित कालावधि तक या एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप–नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवोन्मुक्त किये या हटाये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी

या निम्नतर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा अवधि के दौरान संसूचित न किया गया हो।

(4) उपर्युक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरण : (i) इस नियम के प्रयोजन के लिए नियमित भर्ती से अभिप्रेत है,–

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भर्ती की किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गयी नियुक्ति ;

(ख) उस पद पर नियुक्ति, जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हो, यदि पद आयोग के कार्य, क्षेत्र के भीतर हो तो आयोग के परामर्श से भर्ती;

(ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जहां सेवा नियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हों ;

(घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो, नियमित रूप से भर्ती किये हुए समझे जायेंगे :

परन्तु इसमें ऐसी अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाले व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण किये जाने के पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थायी नियुक्ति के दो वर्ष समाप्त होने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके

प्रतिकूल कोई भी विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्व पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायेगा।

39. परिवीक्षाकाल के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.—यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पायी गयी हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, उस पद पर पदावनत कर सकेगा जिस पर उसका, परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षणार्थी के रूप से उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप से चयन किया गया हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परिवीक्षाधीन—प्रशिक्षणार्थी के परिवीक्षाकाल को एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

40. स्थायीकरण.—एक परिवीक्षाधीन, परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि,—

(क) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और ऐसा प्रशिक्षण,जैसा कि सरकार समय—समय पर विनिर्दिष्ट करे, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो ;

(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और

(ग) सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठा शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

भाग 7
वेतन

41. वेतनमान.– सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का पे मैट्रिक्स के लेवल में मासिक वेतन वह होगा जो नियम 43 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जाये।

42. परिवीक्षा के दौरान वेतन.– सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी को, परिवीक्षाकाल के दौरान ऐसी दर से मासिक रूप से नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये :

परन्तु सरकारी सेवा में इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी को परिवाक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवा के दौरान पद के पे मैट्रिक्स में उसके स्वयं के लेवल में परिलब्धियां या राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 के उपबंधों के अनुसार नये पद का नियत पारिश्रमिक, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

43. वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन.– इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य के वेतन, भत्ते, पेंशन, अंशदायी पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी :–

(i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय–समय पर यथा–संशोधित;

(v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(vi) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(vii) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(viii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय–समय पर यथा–संशोधित ;

(ix) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, समय–समय पर यथा–संशोधित; और

(x) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये अन्य कोई नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों और तत्समय प्रवृत्त हों।

44. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.– अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति तथा आयोग के परामर्श से, जहां आवश्यक हो, आदेश द्वारा इन नियमों के सुसंगत उपबंधों को, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी :

परन्तु–

(i) ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(ii) इस नियम के अधीन विहित सेवा काल या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के

लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा ।

(iii) जहां किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की विहित कालावधि 6 वर्ष से कम है वहां प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक विभाग से गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उन मामलों पर विचार करेगी जहां 45 प्रतिशत या उससे अधिक पद रिक्त हैं। समिति अनुभव में शिथिलीकरण की इतनी मात्रा सुझाने के लिए सशक्त होगी जो ऐसे मामलों में, पदोन्नति वाले पदों में रिक्तियों की बड़ी संख्या के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए, ऐसी शर्त कि अनुभव में ऐसा शिथिलीकरण दो वर्ष से अधिक न हो के अध्यधीन प्रदान की जायेगी ।

45. शंकाओं का निराकरण.– यदि इन नियमों के लागू होनेऔर उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

46. निरसन और व्यावृत्ति.– राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 और राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में जारी तथा इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम और आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

राज्य सेवा पद

समूह कः प्रशासनिक विंग

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अतिरिक्त निदेशक	—	100 प्रतिशत	—	संयुक्त निदेशक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव। यदि तीन वर्ष के अनुभव वाला संयुक्त निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो पद, संयुक्त निदेशक के पद पर एक वर्ष का अनुभव सम्मिलित करते हुए संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पद पर चार वर्ष के संयुक्त अनुभव वाले संयुक्त निदेशक द्वारा भरा जा सकेगा।	—
2.	संयुक्त निदेशक	—	100 प्रतिशत	—	उप निदेशक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव। यदि तीन वर्ष के अनुभव वाला उप निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो पद, उप निदेशक के पद पर एक वर्ष का अनुभव सम्मिलित करते हुए, उप निदेशक और जिला शिक्षा अधकारी के पद पर चार वर्ष के संयुक्त अनुभव वाले उप निदेशक द्वारा भरा जा सकेगा।	—
3.	उप निदेशक	—	100 प्रतिशत	—	जिला शिक्षा अधिकारी	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	—

4.	जिला शिक्षा अधिकारी	—	100 प्रतिशत	—	प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	—
5.	प्राचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय	—	निम्न लिखित विखंडों सहित 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा– (i)प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय से 20 प्रतिशत। (ii)प्राध्यापक/ अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी में से 80 प्रतिशत।	—	प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय/प्राध्यापक/ अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर और बी.एड. या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।	—
6.	प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही किसी विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापक	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद 5 वर्ष का अनुभव	—
7.	अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के साथ किसी विद्यालय में 5 वर्ष का	वरिष्ठ अध्यापक	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	—

				अध्यापन अनुभव।			

समूह खः अध्यापन विंग							
1.	प्राध्यापक (जीव विज्ञान)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्मजीव–विज्ञान/जीव–प्रौद्योगिकी में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	प्राणी विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्मजीव–विज्ञान/जीव–प्रौद्योगिकी में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–
2.	प्राध्यापक (वाणिज्य)	100 प्रतिशत	–	(i) बी.कॉम के साथ वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही वाणिज्य समूह के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा यथा विहित उच्च माध्यमिक कक्षाओं के कम से कम दो अध्यापन विषय हों। (ii) सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	बी.कॉम के साथ वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या वाणिज्य में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही वाणिज्य समूह के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान द्वारा यथा विहित उच्च माध्यमिक कक्षाओं के कम से कम दो अध्यापन विषय हों साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

6 mh

3.	प्राध्यापक (संगीत)	100 प्रतिशत	—	संगीत में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता।	वरिष्ठ अध्यापक	संगीत में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या वैकल्पिक विषय के रूप में संगीत के साथ हायर सैकण्डरी/सैकण्डरी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष के अनुभव को सम्मिलित करते हुए 10 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
4.	प्राध्यापक (ड्राइंग)	100 प्रतिशत	—	ड्राइंग या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हरता मेंवि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कला के किसी विद्यालय/महाविद्यालय से कला में पांच वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	ड्राइंग या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हरता में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा या स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या वैकल्पिक विषय के रूप में ड्राइंग के साथ हायर सैकण्डरी/सैकण्डरी या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष के अनुभव को सम्मिलित करते हुए 10 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक पद 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
5.	प्राध्यापक (कृषि)	100 प्रतिशत	—	कृषि विज्ञान/उद्यान कृषि/ पशु पालन में से किसी के साथ कृषि में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	कृषि विज्ञान/उद्यान कृषि/पशु पालन में से किसी के साथ कृषि में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापकों, जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष रहने तक, 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

6.	प्राध्यापक (अन्य विषय)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	सुसंगत विषय में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक	सुसंगत विषय में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा बशर्ते कि उन्होंने स्नातक स्तर पर सुसंगत विषय का अध्ययन किया हो साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–

समूह गः पुस्तकालय विंग

1.	राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष	–	100 प्रतिशत	–	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–I	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–
2.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–I	–	100 प्रतिशत	–	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री साथ ही 5 वर्ष का अनुभव या वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 8 वर्ष का अनुभव।	–

समूह घः शारीरिक शिक्षा विंग

1.	प्राचार्य, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	–	100 प्रतिशत	–	सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा और शारीरिक शिक्षा में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	–
2.	सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा	–	100 प्रतिशत	–	उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	–
3.	उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा	–	100 प्रतिशत	–	प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा/कोच	शारीरिक शिक्षा या किसी अन्य विषय में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	–
4.	प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा और	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही शारीरिक शिक्षा	–

				राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा/ एम.पी.एड. (2 वर्ष की अवधि) में स्नातकोत्तर।		में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	
5.	कोच	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही शारीरिक शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा और राष्ट्रीय खेल संस्थान की किसी शाखा से पूर्णकालिक राष्ट्रीय खेल संस्थान (रा.खे.सं.) प्रमाणपत्र।	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही राष्ट्रीय खेल संस्थान (रा.खे.सं.) से पूर्णकालिक प्रशिक्षण या वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही राष्ट्रीय खेल संस्थान (रा.खे.सं.) से शारीरिक शिक्षा और संबंधित पाठ्यक्रम में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	—

अनुसूची–II
अधीनस्थ सेवा पद

समूह कः अध्यापन विंग							
क्र. सं.	**पद का नाम**	**भर्ती की रीति**		**सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव**	**पद जिससे पदोन्नति की जानी है**	**पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव**	**अभ्युक्तियां**
		सीधी	**पदोन्नति**				
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
1.	वरिष्ठ अध्यापक 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. विज्ञान 5. तृतीय भाषा 6. सामाजिक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	**(i) क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिएः** वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा, और सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा	1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक	स्तम्भ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव **(i) क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिएः** वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा और	—

	विज्ञान			मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। **(ii)क्रम सं.4 पर के पद के लिए:** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव–विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। **(iii)क्रम संख्यांक 6 पर के पद के लिए:** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।		सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। **(ii)क्रम सं. 4 पर के पद के लिए:** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव–विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। **(iii)क्रम संख्यांक 6 पर के पद के लिए:** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र तथा सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा।	
2.	वरिष्ठ अध्यापक	—	100	—	1. अध्यापक	विद्यमान अध्यापक जो सरकार/राष्ट्रीय	—

6M

	(सामान्य)		प्रतिशत		2. प्रयोगशाला सहायक	अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं और क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में उल्लिखित विषयों में से किसी विषय के वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं।	
3.	वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. विज्ञान 5. तृतीय भाषा 6. सामाजिक विज्ञान	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	**(i)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिएः–** वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री ; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा **(ii)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 4 पर के पद के लिएः–** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षाः– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव– विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान;	1. अध्यापक 2. प्रयोगशाला सहायक 3. दृष्टि बाधित विद्यालय / मूक–बधिर विद्यालय में अध्यापक	**(i)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 1, 2, 3 और 5 पर के पदों के लिएः–** वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा; और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव। **(ii) स्तम्भ संख्यांक 2 मेंक्रम सं. 4 पर के पद के लिएः–** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षाः– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव– विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान; तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या	—

				तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा **(iii)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 6 पर के पद के लिए** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षाः– इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र; तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री ; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा।		शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव। **(iii)स्तम्भ संख्यांक 2 में क्रम सं. 6 पर के पद के लिएः–** वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र; तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिग्री; या शिक्षा (सामान्य) में डिग्री साथ ही भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	

4.	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	–	100 प्रतिशत	–	प्रयोगशाला सहायक	वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षाः– भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव–विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या सीनियर सैकण्डरी साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 10 वर्ष का अनुभव।	–
5.	अध्यापक	–	–	–	–	–	वरिष्ठता क्रम में, 100 प्रतिशत पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से लिये जायेंगे।
6.	दृष्टि बाधित विद्यालय/ मूक–बधिर विद्यालय में अध्यापक	–	–	–	–	–	वरिष्ठता क्रम में, 100 प्रतिशत पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से लिये जायेंगे।
7.	प्रयोगशाला सहायक	100 प्रतिशत	–	वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम से कम तीन विषयों के साथ सीनियर सैकण्डरीः सूक्ष्मजीव–विज्ञान, जैव–प्रौद्योगिकी और जैव–रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित।	–	–	12.5 प्रतिशत पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में संवर्ग में अधिष्ठायी रूप से पद धारण करने वाले प्रयोगशाला अनुकर्मियों/ कर्मचारियों में से इस

							शर्त के अध्यधीन भरे जायेंगे कि वे इन नियमों के अधीन ऐसी भर्ती के लिए अन्यथा पात्र पाए गये हैं।
समूह खः पुस्तकालय विंग							
1.	पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड–II	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।	पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड–III	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–
2	पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड–III	100 प्रतिशत	–	सीनियर सैकण्डरी साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा।	–	–	–
समूह गःशारीरिक शिक्षा विंग							
1	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.)।	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.), और स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव; या सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.पी.एड.) और स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 10 वर्ष का अनुभव।	दिनांक 01.04.2013 को विद्यमान शारीरिक शिक्षा अध्यापक जिनके पास शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.पी.एड.) है, वे पदोन्नति के पात्र हैं, उनके निःशेष होने के

							पश्चात् केवल वे शारीरिक शिक्षा अध्यापक ही, जिनके पास शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) की अर्हता है, पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
2	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	100 प्रतिशत	–	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा साथ ही सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.)।	–	–	–

अनुसूची–III

1. प्रधान अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरणः–

परीक्षा की स्कीम :–

(1) परीक्षा 600 अंक की होगी।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 300 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 3 घण्टे की होगी।

(3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं।

प्रश्नपत्र–I सामान्य अध्ययन

समयावधि : तीन घण्टे

	विषय
1.	राजस्थान की संस्कृति पर विशेष बल देते हुए राजस्थान, भारत और विश्व का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
2.	राजस्थान पर विशेष बल देते हुए भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र
3.	समसामयिक मामले
4.	राजस्थान, भारत, विश्व भूगोल
5.	सामान्य विज्ञान

प्रश्नपत्र–II शिक्षा और शैक्षिक प्रशासन के बारे में सामान्य बोध

समयावधि : तीन घण्टे

	विषय
1.	बौद्धिक योग्यता परीक्षण
2.	सांख्यिकी (सैकण्डरी स्तर), गणित (सैकण्डरी स्तर)
3.	शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षणशास्त्र, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य
4.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, राजस्थान सेवा नियम, सीसीए नियम, जीएफ एण्ड एआर
5	अध्यापन में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग
6	भाषा योग्यता परीक्षण :– हिन्दी, अंग्रेजी

2. अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरणः–

परीक्षा की स्कीम :–

(1) परीक्षा 400 अंक की होगी।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घण्टे की होगी।

(3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं–

प्रश्नपत्र–I सामान्य अध्ययन

समयावधि : दो घण्टे

	विषय
1.	राजस्थान की संस्कृति पर विशेष बल देते हुए राजस्थान, भारत और विश्व का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
2.	राजस्थान पर विशेष बल देते हुए भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र
3.	राजस्थान, भारत, विश्व का भूगोल
4.	भाषा योग्यता परीक्षणः हिन्दी, अंग्रेजी
5.	सामान्य विज्ञान
6.	सांख्यिकी (माध्यमिक स्तर), गणित (माध्यमिक स्तर)

प्रश्नपत्र–II शिक्षा और शैक्षिक प्रशासन के बारे में सामान्य बोध

समयावधि : दो घण्टे

	विषय
1.	समसामयिक मामले
2.	बौद्धिक योग्यता परीक्षण
3.	अध्यापन में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग
4.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, राजस्थान सेवा नियम, सीसीए नियम, जीएफ एण्ड एआर
5.	विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य
6.	शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षणशास्त्र

3. विद्यालय प्राध्यापक के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरणः–

(1) परीक्षा 450 अंकों की होगी।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र–I 150 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र–II 300 अंको का होगा। प्रश्नपत्र–I की समयावधि डेढ़ घण्टे की और प्रश्नपत्र–II की समयावधि 3 घण्टे की होगी।

(3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जायेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं।

प्रश्नपत्र–I सामान्य अध्ययन

समयावधि : 1 घण्टा और 30 मिनट

	विषय
1.	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास
2.	बौद्धिक परीक्षण, सांख्यिकी (सैकण्डरी स्तर), गणित (सैकण्डरी स्तर), भाषा योग्यता परीक्षणः हिन्दी, अंग्रेजी
3.	समसामयिक मामले
4.	सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल
5.	शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

प्रश्नपत्र–II संबंधित विषय

समयावधि : तीन घण्टे

	विषय
1.	संबंधित विषय का ज्ञान : सीनियर सैकण्डरी स्तर
2.	संबंधित विषय का ज्ञान : स्नातक स्तर
3.	संबंधित विषय का ज्ञान : स्नातकोत्तर स्तर
4.	शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षणशास्त्र, अध्यापन अधिगम सामग्री, अध्यापन अधिगम में कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

4. कोच के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरणः–

(1) परीक्षा 450 अंकों की होगी और स्पोर्ट्स/टूर्नामेण्टों में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे। (नीचे उल्लिखित प्रश्नपत्र–II "टिप्पण" के अनुसार)।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र–I 150 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र–II 300 अंको का होगा। प्रश्नपत्र–I की समयावधि डेढ़ घण्टे की और प्रश्नपत्र–II की समयावधि 3 घण्टे की होगी।

(3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं–

प्रश्नपत्र–I सामान्य अध्ययन

समयावधि : 1 घण्टा और 30 मिनट

	विषय
1.	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास।
2.	बौद्धिक योग्यता परीक्षण, सांख्यिकी (सैकण्डरी स्तर), गणित (सैकण्डरी स्तर), भाषा योग्यता परीक्षण : हिन्दी, अंग्रेजी
3.	समसामयिक मामले
4.	सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल

प्रश्नपत्र–II संबंधित स्पोर्ट्स

समयावधि : तीन घण्टे

	विषय
1.	शारीरिक शिक्षा और स्पोर्ट्स का ज्ञान
2.	स्पोर्ट्स विज्ञान
3.	प्रशिक्षण का सामान्य सिद्धान्त और रीति
4.	खेलकूद/स्पोर्ट्स और इसके समसामायिक मामलों का विशिष्ट ज्ञान

टिप्पण : (I) स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर दिये जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगे .–

1. अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता।	40 अंक
2. राष्ट्रीय स्तर पर II स्थान।	36 अंक
3. राष्ट्रीय स्तर पर III स्थान।	32 अंक
4. राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राज्य स्तर पर विजेता।	28 अंक
5. राज्य स्तर पर II स्थान।	24 अंक
6. राज्य स्तर पर III स्थान।	20 अंक
7. राज्य स्तर पर भाग लेना या जिला स्तर पर विजेता।	16 अंक
8. जिला स्तर पर II स्थान।	12 अंक
9. जिला स्तर पर III स्थान।	08 अंक
10. जिला स्तर पर भाग लेना।	04 अंक

टिप्पण : (II) स्तर निम्नानुसार होंगे .–

1. **जिला स्तर** – निम्नलिखित टूर्नामेण्ट जिला स्तर के माने जायेंगे :–

(क) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।

(ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ग) संस्कृत शिक्षा विभाग के राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(घ) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्लस्टर स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ङ) विश्वविद्यालयों का अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेण्ट।

2. राज्य स्तर – निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राज्य स्तर के माने जायेंगे :–

(क) प्रारंभिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ग) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(घ) जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

3. राष्ट्रीय स्तर – निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राष्ट्रीय स्तर के माने जायेंगे :–

(क) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विद्यालय खेल टूर्नामेण्ट।
(ख) राष्ट्रीय या इन्टर जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

4. अन्तरराष्ट्रीय स्तर – इनमें से किसी भी एक संगठन के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेना :–
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया।

टिप्पण : (III) स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों का सत्यापन–

(क) स्पोर्ट्स प्रमाणपत्रों पर तभी विचार किया जायेगा यदि वे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव या संस्थान के प्रधान द्वारा इस उल्लेख के साथ सत्यापित किये गये हों कि भाग लेने वाला संस्था का नियमित छात्र है।
(ख) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेने के या उसमें अर्जित स्थान के स्पोर्ट्स प्रमाणपत्र पर तभी विचार किया जायेगा जब उसे संबंधित फेडरेशन/एसोसिएशन द्वारा सत्यापित किया गया हो।

5. वरिष्ठ अध्यापक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:–

परीक्षा 500 अंक की होगी। दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र–I 200 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र–II 300 अंको का होगा।

प्रश्नपत्र–I

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।
(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
(4) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :–
   (i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।
   (ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।
   (iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।
   (iv) शिक्षा मनोविज्ञान।

(5) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(6) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

प्रश्नपत्र–II

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा।
(2) प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी।
(3) प्रश्नपत्र में 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगेः–

(i) सुसंगत विषय–वस्तु के बारे में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।
(ii) सुसंगत विषय–वस्तु के बारे में स्नातक स्तर का ज्ञान।
(iii) सुसंगत विषय की अध्यापन रीतियां।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

6. प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरणः–

(1) परीक्षा 460 अंकों की होगी और स्पोर्ट्स/टूर्नामेण्टों में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे। (नीचे प्रश्नपत्र–II में उल्लिखित "टिप्पण" के अनुसार)।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र–I 200 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र–II 260 अंकों का होगा।

प्रश्नपत्र–I

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।
(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।
(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
(4) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :–
(i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।
(ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।
(iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।
(iv) शिक्षा मनोविज्ञान।

(5) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(6) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :—परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

प्रश्नपत्र–II

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 260 अंकों का होगा।
(2) प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे की होगी।
(3) प्रश्नपत्र में 130 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।
(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।
स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:–

(i) सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर का शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान
(ii) स्पोर्ट्स और शारीरिक शिक्षा तथा समसामयिक मामलों का सामान्य ज्ञान।
(iii) शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त, परिभाषाएं और इतिहास।
(iv) शिक्षा और खेल मनोविज्ञान।
(v) शारीरिक शिक्षा की रीतियां, पर्यवेक्षण और आयोजन।
(vi) प्रशिक्षण और विनिश्चय के सिद्धान्त।
(vii) शारीरिक रचना का मूल विज्ञान, कृत्य और स्वास्थ्य शिक्षा।
(viii) आमोद–प्रमोद, कैम्प और योग।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :—परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर दिये जाने वाले अंक

शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए स्पोर्ट्स/टूर्नामेण्टों में भाग लेने पर अधिकतम 40 अंक दिये जायेंगे। (नीचे उल्लिखित "टिप्पण" के अनुसार)।

टिप्पण : (I) स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर दिये जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगे .–

1.	अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राष्ट्रीय स्तर पर विजेता।	40 अंक
2.	राष्ट्रीय स्तर पर II स्थान।	36 अंक
3.	राष्ट्रीय स्तर पर III स्थान।	32 अंक
4.	राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना या राज्य स्तर पर विजेता।	28 अंक
5.	राज्य स्तर पर II स्थान।	24 अंक
6.	राज्य स्तर पर III स्थान।	20 अंक
7.	राज्य स्तर पर भाग लेना या जिला स्तर पर विजेता।	16 अंक
8.	जिला स्तर पर II स्थान।	12 अंक
9.	जिला स्तर पर III स्थान।	08 अंक
10.	जिला स्तर पर भाग लेना।	04 अंक

टिप्पण : (II) स्तर निम्नानुसार होंगे .–

1. **जिला स्तर** .–निम्नलिखित टूर्नामेण्ट जिला स्तर के माने जायेंगे :

(क) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ग) संस्कृत शिक्षा विभाग के राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(घ) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्लस्टर स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ङ) विश्वविद्यालयों का अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेण्ट।

2. राज्य स्तर .–निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राज्य स्तर के माने जायेंगे :

(क) प्रारंभिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ख) माध्यमिक शिक्षा विभाग का राज्य स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(ग) नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का राष्ट्रीय स्तर विद्यालय टूर्नामेण्ट।
(घ) जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

3. राष्ट्रीय स्तर .–निम्नलिखित टूर्नामेण्ट राष्ट्रीय स्तर के माने जायेंगे :

(क) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विद्यालय खेल टूर्नामेण्ट।
(ख) राष्ट्रीय या इन्टर जोन स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेण्ट।

4. अन्तरराष्ट्रीय स्तर .–इनमें से किसी भी एक संगठन के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेना :
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया।

टिप्पण : (III) स्पोर्टस प्रमाणपत्रों का सत्यापन.–

(क) स्पोर्टस प्रमाणपत्रों पर तभी विचार किया जायेगा यदि वे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव या संस्था के प्रधान द्वारा इस उल्लेख के साथ सत्यापित किये गये हों कि भाग लेने वाला संस्थान का नियमित छात्र है।
(ख) स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया, युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसियेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में भाग लेने के या उसमें अर्जित स्थान के स्पोर्टस प्रमाणपत्र पर तभी विचार किया जायेगा जब उसे संबंधित फेडरेशन/एसोसिएशन द्वारा सत्यापित किया गया हो।

7. वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:–

परीक्षा की स्कीम :–

(1) परीक्षा 600 अंक की होगी।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 300 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 3 घण्टे की होगी।

(3) प्रत्येक प्रश्नपत्र में बहुविकल्पी प्रकार के 150 प्रश्न होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :—परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

(6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय नीचे दी गयी सारणी में दर्शित किये गये हैं।

प्रश्नपत्र–I सामान्य अध्ययन

प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :

(i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।
(ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।
(iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।
(iv) शिक्षा मनोविज्ञान।
(v) बाल विकास
(vi) विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए समावेशी शिक्षा और समझ की धारणा
(vii) अधिगम और शिक्षणशास्त्र
(viii) भाषा–हिन्दी और अंग्रेजी
(ix) डाटा प्रबंध और रिर्पोटिंग।

प्रश्नपत्र–II

प्रश्नपत्र दो भागों में होगा। प्रत्येक भाग में 75 प्रश्न होंगे

भाग–क

निम्नलिखित में से किसी एक में जिसके लिए यह आवेदन कर रहा है अर्थात् दृष्टिगत ह्रास, श्रवणशक्ति ह्रास, मानसिक मंदता के संबंध में उसे विशेषज्ञता हो।

1. **दृष्टिगत** ह्रास
   (i) दृष्टिगत ह्रास, की प्रस्तावना
   (ii) दृष्टिगत ह्रास, के शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य
   (iii) दृष्टिगत ह्रास, वाले बालकों के लिए अध्यापन की युक्तियों के अधिगम की रीति

2. मानसिक मंदता

(i) मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों की पहचान और निर्धारण
(ii) मानसिक मंदता–इसके बहु–विषयक पहलू
(iii) पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली
(iv) इन्क्लुसिव सेटअप (Inclusive setup) में अधिगम कठिनाईयों वाले बालकों के अधिगम की प्रणाली अन्तर्भूतकारी व्यवस्था/परिस्थिति

3. श्रवणशक्ति ह्रास

(i) विभिन्न निःशक्तताओं की आवश्यकता की प्रकृति–एक प्रस्तावना
(ii) शिक्षाः एक वैश्विक पहलू
(iii) शैक्षणिक योजना और प्रबंध–पाठ्यक्रम संरचना और अनुसंधान
(iv) श्रवणशक्ति ह्रास वाले बालकों में भाषा और संसूचना युक्तियों के विकास को सुविधाजनक बनाना
(v) श्रव्य सुधार
(vi) श्रवणशक्ति ह्रास वाले बालकों को भाषा और भाषा अध्यापन की प्रस्तावना

भाग–ख

(i) सुसंगत विषय–वस्तु के बारे में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान
(ii) सुसंगत विषय–वस्तु के बारे में स्नातक स्तर का ज्ञान
(iii) सुसंगत विषय की शिक्षण पद्धति।

8. पुस्कालयाध्यक्ष ग्रेड–II और ग्रेड–III के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरणः–

परीक्षा 400 अंक की होगी। दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा।

प्रश्नपत्र–I

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।

(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।

(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :

(i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।
(ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।
(iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।
(iv) शिक्षा मनोविज्ञान।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :—परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

प्रश्नपत्र–II

ज्ञान संगठन, सूचनात्मक प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।

(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।

(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :–

(i) ज्ञान जगत
संरचना और गुण
विषय निर्माण के तरीके
विषयों के विभिन्न प्रकार
ज्ञान जगत के वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में रेखांकन

(ii) ग्रंथ सूची विवरण
ओपेक नियमों को सम्मिलित करते हुए सूची उद्धेश्य संरचना एवं भौतिक स्वरूप
सूचीकरण के नियामक सिद्धांत

प्रलेखीय विवरणो के सिद्धान्तों का विहंगम दृष्टिकोण

मानकीकरण विवरण और विनिमय में वर्तमान रूझान

सूचीकरण का मानक पाठ्यक्रम

(iii) ज्ञान संगठन की विधियां

विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान

पुस्तकालय वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत

वर्गीकरण और उनके लागू होने का मानक सिद्धांत

पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रकार

वर्गीकरण की मानक योजनाए और उनकी विशेषताएं सी.सी., ई.डी.सी., यू.डी.सी.

नोटेशनः आवश्यकता, कार्य, गुण

पुस्तकालय वर्गीकरण, मानक उप–अनुभाग अनुक्रमणिका स्कीमों की डिजाइन और विकास

पुस्तकालय वर्गीकरण में रूझान

(iv) विषय वर्गीकरण

शिक्षा मनोविज्ञान

विषय वर्गीकरण के सिद्धान्त

विषय शीर्ष सूचियां और उनकी विशेषताएं।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

9. प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरणः–

परीक्षा 400 अंक की होगी। दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा।

प्रश्नपत्र–I

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।

(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।

(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :–

(i) राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान।

(ii) राजस्थान के समसामयिक मामले।

(iii) विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान।

(iv) शिक्षा मनोविज्ञान।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

प्रश्नपत्र–II

(1) प्रश्नपत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा।

(2) प्रश्नपत्र की समयावधि दो घंटे होगी।

(3) प्रश्नपत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे।

(4) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण : गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(5) प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे परन्तु उपर्युक्त नियत प्रतिशत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रतिशत शिथिल किया जायेगा।

(6) प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे :–

(i) विज्ञान विषय–वस्तु के बारे में सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।

(ii) भौतिक विज्ञान विषय–वस्तु के बारे में सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।

(iii) रसायन विज्ञान विषय–वस्तु के बारे में सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।

(iv) जीव विज्ञान विषय–वस्तु के बारे में सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।

प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार :–परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

28/2021